

बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग।

अधिसूचना

पटना, दिनांक 19.3.18

हस्ताक्षर-15/27/17

अ0सं0-.....1527...../एम0

विभागीय अधिसूचना संख्या-7097/एम0 दिनांक 17.11.17

के आलोक में बिहार राज्यान्तर्गत लघु खनिजों का व्यापार बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से किया जा रहा है। सम्यक विचारोपरांत बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के क्रियाकलाप के संबंध में निम्नवत् निर्णय लिया जाता है:-

- I. बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड से संचालित रिभर्स ई-ऑक्शन द्वारा बंदोबस्त बालूघाटों से प्राप्त राशि को खनन शीर्ष '0853' में जमा किया जायेगा।
 - II. बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के नियम-36 के तहत निर्माण कार्यों में उपयोग हेतु कार्य विभागों को बंदोबस्त बालूघाटों से प्राप्त राशि खनन शीर्ष "0853" में जमा किया जाएगा।
 - III. निर्यात कूपन/Challan द्वारा राज्य से बाहर भेजे गये लघु खनिजों से प्राप्त राशि खनन शीर्ष '0853' में जमा किया जायेगा।
 - IV. बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा अतिरिक्त स्वामिस्व के रूप में प्राप्त किये गये तथा वसूले गये सभी प्रकार के दंड की राशि को खनन शीर्ष '0853' में जमा किया जायेगा।
2. यह अधिसूचना विभागीय अधिसूचना संख्या-7097/एम0 दिनांक 17.11.17 के क्रम में दिनांक 17.11.17 के प्रभाव से लागू होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(सुशील कुमार)

सरकार के अवर सचिव

हस्ताक्षर-15/27/17

पत्रांक -...../एम0, पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:-सभी समाहर्ता/सभी उप निदेशक/सभी सहायक निदेशक/सभी खनिज विकास पदाधिकारी/सभी खान निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव

हस्ताक्षर-15/27/17

पत्रांक -...../एम0, पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:-महाप्रबंधक, बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव

हस्ताक्षर-15/27/17

पत्रांक -.....1527...../एम0, पटना, दिनांक-.....19.3.18.....

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव के आप्त सचिव/निदेशक कोषांग/विशेष सचिव कोषांग/विशेष कार्य पदाधिकारी कोषांग/उप निदेशक (मु0) कोषांग/सहायक निदेशक (मु0) कोषांग/अवर सचिव कोषांग/प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

हस्ताक्षर

19/3/18
सरकार के अवर सचिव